प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 17-10-2020

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा" अपराध की रोकथाम व अपराधियों के गिरफ्तारी हेतु" चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत,श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर व क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज श्री उमेश शर्मा के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक भवानीगंज श्री रवीन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में आज दिनांक 17-10-2020 को मुखबिर खास की सूचना पर एक व्यक्ति को समय माता स्थान गहिरौला व अहिरौला की तरफ जाने वाले रोड से एक अदद देशी कट्टा 12 बोर व एक अदद कारतूस 12 बोर जिन्दा का साथ पकड़ा गया। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 141/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियुक्त ताहिर पुत्र मीरे साकिन सेहरीखास टोला बरघाट थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। उक्त अभियुक्त सक्रिय अपराधी है तथा गोवंशीय पशुओ की तस्करी करता है। अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में गोवंध से सम्बन्धित थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 347/2015 धारा 3/5ए/8 गोवध अधिनियम पंजीकृत है।

बरामदगी व गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उप निरीक्षक श्री कृपाराम जायसवाल थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर।

2 - हे0का0 रामशंकर पाण्डेय थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 17-10-2020

अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के निर्देशन एवं श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 16-10-2020 को पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही।

दिनांक 16-10-2020 को जनपद सिद्धार्थनगर के सभी थाना क्षेत्रों में वाहन /अवैध शराब/ संदिग्ध व्यक्तियों की सघन चेकिंग का अभियान चलाया गया। जिसके अन्तर्गत जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/ थानाध्यक्ष द्वारा एम0वी0 एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुये 64 वाहनों से 53,600/ रु0 समन शुल्क वसूल किया गया।

01- थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त अज्ञात के पास से 50 किलोग्राम नेपाली मटर कीमत करीब 2500/रु0 बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 112/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

प्रेस नोट दिनांक 17-10-2020

मु०अ०सं० 177/2020 धारा 363/366 IPC के अंतर्गत एक वान्छित अभियुक्त गिरफ्तार।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा" अपराध की रोकथाम व अपराधियों के गिरफ्तारी हेतु" चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत,श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर व श्री राजेश कुमार तिवारी, क्षेत्राधिकारी बांसी के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 17-10-2020 को श्री प्रदीप कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना खेसरहा के नेतृत्व में खेसरहा पुलिस टीम द्वारा मु०अ०सं० 177/2020 धारा 363/366 IPC के अंतर्गत वान्छित अभियुक्त अनूप उर्फ आशुतोष पाण्डेय पुत्र रामगोपाल पाण्डेय निवासी खेसरहा थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर को कस्बा बेलौहा मरवटिया मोड़ से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

मिशन शक्ति – नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलम्बन जनपद सिद्धार्थनगर

आज दिनांक 17.10.2020 को माननीय मुख्यमंत्री उ.प्र. सरकार द्वारा मिशन शक्ति नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलम्बन के सम्बन्ध मे सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा जारी आदेश के क्रम में व श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में व श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर पर्यवेक्षण में जनपद के समस्त थानों पर महिला हेल्पडेस्क के तत्वाधान में थाने के समस्त अधिकारी/ कर्मचारीगण एवं थाना क्षेत्र के सम्मानित पत्रकार बन्धुओं एवं क्षेत्र के सम्भ्रान्त एवं प्रतिष्ठित महिलाओ एवं पुरूषो के उपस्थिति में शक्ति मिशन के तहत आदेश-निर्देशों के सम्बन्ध में सेमिनार / सम्मेलन किया गया। जिसमें नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलम्बन में मिशन शक्ति के तहत आपस में एक दूसरे से वार्तालाप किया गया और नारी सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा चलाये जा रहे सेवाएं जैसे 1090 वीमेन पॉवर हेल्पलाईन, 181 महिला हेल्पलाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाईन, 112 पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098 चाइल्ड लाइन, 102 स्वास्थ्य सेवा, 108 एम्बुलेंस सेवा के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी। नारी शक्ति एवं नारी सुरक्षा के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी गयी। समाज के नारी वर्ग को सुदृढ़ एवं सशक्त बनाने हेतु जागरूक करते हुए बताया गया कि सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान एवं सेवाओ का प्रयोग कर समाज को स्वच्छ वातावरण प्रदान किया जा सकता है।

प्रेस नोट

आज दिनांक 17.10.2020 को पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व क्षेत्राधिकारी बांसी के पर्यवेक्षण में श्री शैलेश कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक बांसी मय हमराह के द्वारा थाना कोतवाली बांसी पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 320/2020 धारा 376(3) भा०द०वि० व 3(2)5,3(1)w(1) SC/ST Act से संबंधित अभियुक्त संजय कुमार पुत्र श्री मिश्रीलाल निवासी ग्राम जनियाजोत थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।